न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
74 / 2025

दायर दिनांक
13.01.2025

निर्णय दिनांक
12.08.2025

उनवान

1. श्री बालु जाट आत्मज दूदा जाट निवासी गोवर्धनपुरा पोस्ट बड़ा महुआ (महुआ कला) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज ।
2. श्री शंकर जाट आत्मज श्री दूदा जाट निवासी गोवर्धनपुरा पोस्ट बड़ा महुआ (महुआ कला) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज।
3. जस्सू जाट पत्नी श्री दूदा जी जाट निवासी गोवर्धनपुरा पोस्ट बड़ा महुआ (महुआ कला) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज ।

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहन लाल पिता श्री देबीलाल चमार नि0 गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री कालू पिता भैरू गूर्जर निवासी गूर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआकलां (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्री बद्री गुर्जर पिता भैरू गूर्जर निवासी गूर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआ कलां (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज ।
4. श्री चन्दा गूर्जर पिता भैरू गूर्जर निवासी गूर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआ कलां, (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा राजः ।
5. श्री पन्ना लाल गूर्जर पिता श्री लाला गूर्जर निवासी गूर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआ कलां (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज ।
6. श्री नारायण लाल गुर्जर पिता श्री लाला गूर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआ कला (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज ।
7. श्री धन्ना गूर्जर पिता श्री छोगा गूर्जर निवासी गूर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआ कलां (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज, ।
8. श्री भोलू गुर्जर पिता श्री हरी गूर्जर निवासी गूर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआ कलां (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज. ।
9. श्री मोहन गूर्जर पिता श्री हरी गूर्जर निवासी गूर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआ कलां (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज ।
10. श्री भोजा गूर्जर पिता श्री हरी गूर्जर निवासी गूर्जर मौहल्ला पार्लिया खेडा पोस्ट महुआ कलां (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाड़ा राज ।
11. श्री रामेश्वरदास पिता मोडादास (वैष्णव) निवासी बडौदा बैंक के सामने महुआ कलां (बडा महुआ) तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
12. श्री रामदास पिता गोकुलदास (वैष्णव) निवासी गोवर्धन पुरा पोस्ट बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा राज

–– विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री कैलाश आगाल उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोवर्धनपुरा पटवार हल्का खायडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआ कला तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 220/1, रकबा 0.6702 हैक्टेयर, आराजी संख्या 220/9 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 269/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी संख्या 269/2 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 270/1 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 270/3 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, आराजी संख्या 270/5 रकबा 0.6955 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 2.3014 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अंभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार.. काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोवर्धनपुरा पटवार हल्का खायडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआ कला तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 220/1, रकबा 0.6702 हैक्टेयर, आराजी संख्या 220/9 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 269/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी संख्या 269/2 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 270/1 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 270/3 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, आराजी संख्या 270/5 रकबा 0.6955 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 2.3014 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

भीलवाड़ा